



दिनांक 06.07.2024

प्रेस विज्ञप्ति 07/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हाथरस/थाना सिकन्दाराऊ

• 01 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 05.07.2024 को थाना सिकन्दाराऊ व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त देवप्रकाश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिकन्दाराऊ पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दाराऊ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—देवप्रकाश निवासी सलेमपुर गादरी थाना आवागढ़ जनपद एटा हालपता—मोहल्ला दमदपुरा नई कालोनी सिकन्दाराऊ जनपद हाथरस।

जनपद फतेहपुर/थाना हथगांव

• पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 06.07.2024 को थाना हथगांव व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कासिमपुर रोड से सरायइदरीश नहर पटरी पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त रिजवान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के

कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।
घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हथगांव पर पंजीकृत अभियोग में
वाँछित था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित
था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद फतेहपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का
प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 40 अभियोग
पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हथगांव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक
कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रिजवान निवासी पट्टीशाह थाना हथगांव जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना साइबर काइम

- 15—15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 10 अभियुक्त
गिरफ्तार
- धोखाधड़ी के 83 हजार 864 रूपये नगद
- 42 मोबाइल फोन, 33 सिमकार्ड, बैंको के चेक/डेविड कार्ड/पास बुक
- 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक: 06.07.2024 को थाना साइबर काइम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार
पर मालागढ़ को जाने वाले रास्ते पर स्थित रेलवे लाइन के पास से 10 अभियुक्तों
1—शाह आलम 2—उरुज आलम उर्फ आशू सहित 3—नितिन 4—प्रेमशंकर 5—अवधेश
6—भूपेन्द्र 7—काली चरन 8—आलोक 9—बृजेश 10—चतर सिंह को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 83 हजार 864 रूपये नगद,

42 मोबाइल फोन, 33 सिमकार्ड, बैंको के चेक/डेविड कार्ड/पास बुक, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शाह आलम व उरुज आलम उर्फ आशू थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद मुजफ्फरनगर से 15-15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना साइबर काइम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-शाह आलम निवासी बुद्धारोड मण्डावली , दिल्ली हालपता-खतौली नई आबादी जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2-उरुज आलम उर्फ आशू निवासी बुद्धारोड मण्डावली , दिल्ली हालपता-खतौली नई आबादी जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3-नितिन निवासी मोहला शास्त्री नगर थाना नौचन्दी मेरठ।
- 4-प्रेमशंकर निवासी बघैडी थाना चाकघाट जनपद रीवा, म0प्र0।
- 5-अवधेश निवासी पुराना सिवली रोड थाना कल्यानपुर, कानपुरनगर।
- 6-भूपेन्द्र निवासी मुरारीनगर थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।
- 7-काली चरन निवासी मोहल्ला कृष्णागंज थाना पिलखुआ जनपद हापुड़।
- 8-आलोक निवासी केशुपुर सटला थाना बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 9-बृजेश निवासी चित्सौना थाना बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 10-चतर सिंह निवासी चित्सौना अल्लीपुर थाना बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

- 1-धोखाधड़ी के 83 हजार 864 रूपये नगद।
- 2-42 मोबाइल फोन, 33 सिमकार्ड, बैंको के चेक/डेविड कार्ड/पास बुक।
- 3-01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना रामघाट

• पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• लूट का 01 मोबाइल फोन

• 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 05.07.2024 की रात्रि थाना रामघाट व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर पुल रामघाट पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—अजय उर्फ काली घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—लाल सिंह सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट का 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अजय उर्फ काली के विरुद्ध जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग व अभियुक्त लाल सिंह के विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रामघाट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय उर्फ काली निवासी ग्राम प्यावली थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ़।

2—लाल सिंह निवासी ग्राम लहरा सलेमपुर थाना दादों जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—लूट का 01 मोबाइल फोन।

2—01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 06 लाख 03 हजार रुपये नगद
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक: 06.07.2024 को थाना तितावी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भौराकलां नहर पटरी से अभियुक्त सौरभ जसबीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 06 लाख 03 हजार रुपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 04.07.2024 को थाना तितावी क्षेत्रान्तर्गत चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तितावी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रुपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना तितावी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-सौरभ जसबीर निवासी साल्हाखेड़ी थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर हालपता-बाड़ी माजरा थाना सदर, यमुनानगर, हरियाणा।

बरामदगी

1-चोरी के 06 लाख 03 हजार रुपये नगद।

2-01 मोटर साइकिल।

जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 05 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 05.07.2024 की रात्रि थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1-सैफ 2-समीर उर्फ बिल्ली को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सैफ निवासी मोहल्ला ठाकुरद्वारा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2—समीर उर्फ बिल्ली सैफ निवासी मोहल्ला ठाकुरद्वारा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी

1—चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

- जनपद कुशीनगर/थाना हनुमानगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना हनुमानगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जितेन्द्र को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद हरदोई/थाना सुरसा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना सुरसा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि व 06 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुकेश को सश्रम आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जैतपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना जैतपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 306/376 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजू को सश्रम आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद जालौन/थाना कोतवाली कोंच (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 22 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कोतवाली कोंच पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गुलफाम को 22 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना मिश्रिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मुस्तफा को 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।